Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to regularise the services of para-teachers as permanent primary teachers.

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): सर्वशिक्षा अभियान को सन् 2002 में संविधान संशोधन कर लागू किया गया था। इसके तहत झारखण्ड राज्य में लगभग 80 हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति सन् 2002 से 2010 के बीच में की गई है। ये पारा शिक्षकगण 14 वर्षों से ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में झारखण्ड का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ, इन लोगों को पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोक सभा चुनाव के कार्य संचालन एवं मतगणना कार्यों में भी लगाया जाता है। यहॉ तक कि किसी भी प्रकार के जनगणना तथा भारत सरकार की दसवर्षीय जनगणना का कार्य भी पारा शिक्षकों के द्वारा ही किया गया है। लेकिन इन लोगों को झारखण्ड सरकार के द्वारा अल्प मानदेय दिया जा रहा है। जबकि देश के लगभग सभी राज्यों में पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक बना दिया गया है । जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम आदि में उन्हें पूरा वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन झारखण्ड राज्य के पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक में समायोजित नहीं किया गया है, जिससे इन्हें पूरे वेतनमान नहीं मिलने से अपने परिवार चलाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और आज झारखण्ड के सभी 80 हजार पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं।

अतः माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि अविलम्ब झारखण्ड सरकार से परामर्श कर सभी 80 हजार पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित कराने की कृपा की जाए।